राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पचायती राज विभाग)

एफ.37( )पंरावि/प्रशा.2/मंत्रा/ग्रासेचार्ज/2018/1024 जयपुर, दिनांकः 06/05/2022

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
ज़िला परिषद, समस्त(राजस्थान) ।

विषयः– ग्राम विकास अधिकारी(ग्राम सेवक) के रिक्त पदों का कार्यभार दिये जाने बाबत ।

पंचायती राज संस्थाओं में वर्तमान में ग्राम विकास अधिकारियों के काफी संख्या मे पद रिक्त चल रहे हैं, ऐसी स्थिति में कतिपय स्थानों पर एक ग्राम विकास अधिकारी के पास दो से अधिक ग्राम पंचायतों का कार्यभार भी दिया हुआ है । ऐसी परिस्थिति में ग्राम पंचायतों द्वारा ग्रामीण जनता को उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाओं एवं राज्य सरकार की महत्वूपर्ण जन–कल्याणकारी योजनों के क्रियान्वयन में अपेक्षित गति से कार्य करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि चूंकि पूर्व में विभागीय पत्रांक 496 दिनांक 08.3.2022 के द्वारा आपको मंत्री मण्डल आज्ञा 15/2021 के द्वारा अनुमोदित विभागीय मंत्रिमण्डलीय ज्ञापन दिनांक 24.12.2020 में वर्णित बिन्दु संख्या 1(iv) ग्राम विकास अधिकारी (Village Development Officer) एवं कनिष्ठ लिपिक (LDC) ग्राम पंचायत में एक दूसरे के लिंक ऑफिसर के रूप में कार्य करने संबंधित निर्देशों की पालना करने हेतु निर्देशित किया जा चुका है । अतः राज्य की ग्रामीण जनता को त्वरित सेवाऐं दिये जाने एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों का कार्यभार निम्नानुसार वरीयता क्रम से दिया जाना सुनिश्चित किया जायेः–

1. किसी ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी का पद रिक्त होने की स्थिति में उस ग्राम पंचायत की समीपस्थ ग्राम पंचायत में नियुक्त ग्राम विकास अधिकारी को रिक्त पद का चार्ज दिलवाया जाये, किन्तु किसी भी अवस्था में ग्राम विकास अधिकारी के पास दो से अधिक ग्राम पंचायतों का कार्यभार नहीं दिया जाये ।
2. ज़िले में बिन्दु सं0 1 के अनुसार रिक्त पदों का कार्यभार दिये जाने के पश्चात जिन ग्राम पंचायतों में ग्राम विकास अधिकारी के पद रिक्त रह जायें वहां ग्राम विकास अधिकारी के पद का कार्यभार उसी ग्राम पंचायत में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक को दिया जाये । यह भी ध्यान रखा जाये कि किसी भी कनिष्ठ लिपिक के पास एक से अधिक ग्राम पंचायत का कार्यभार नहीं दिया जाये ।
3. उपरोक्तानुसार बिन्दु सं0 1 एवं 2 की पालना किये जाने के पश्चात भी यदि किसी ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी का पद रिक्त रह जाये अथवा किसी ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी एवं कनिष्ठ लिपिक दोनों ही पद रिक्त हो तो,

ऐसी दशा में राज्य हित को ध्यान में रखते हुए ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पद का कार्यभार किसी अन्य ग्राम विकास अधिकारी/कनिष्ठ लिपिक को दिये जाने हेतु संबंधित ज़िले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ज़िला परिषद को अधिकृत किया जाता है ।

उपरोक्तानुसार निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाये ।

(नवीन जैन)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, माननीय राज्यमंत्री, ग्रामीण विकास एवं पचांयती राज, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
5. निजी सचिव, निदेशक, पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
6. समस्त अधिकारीगण, पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
7. विकास अधिकारी, पंचायत समिति(समस्त), राजस्थान ।
8. एसीपी, पंचायती राज विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु ।

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव(प्रथम)